


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग



क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 29 MAR 2019

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित न्यायालयों का नाम परिवर्तित कर कॉलम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का विद्यमान नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम
1	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 36, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 36, जयपुर महानगर
2	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 37, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 37, जयपुर महानगर

राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature)
29/3/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/Misc./2018/422

Dated: 09/04/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1.All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
- 2.District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan
- 3.Chief Metropolitan Magistrate, Jaipur Metropolitan
- 4.Concerned Court.
- 5.A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Statistics/ (computer cell with a direction to upload the same on high court website).

(Handwritten Signature)
09-4-19
REGISTRAR (RULES)